



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2010/श्रावण 4, 1932

No. 187]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2010/SHRAVANA 4, 1932

भारतीय दंत्य परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2010

सं. डीई-166-2010.—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के खंड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से भारतीय दंत्य परिषद् 'डीसीआई के दंत्य आपरेटिंग रूम असिस्टेंट पाठ्यक्रम विनियम, 2007' नाम से ज्ञात मूल विनियमों में निम्न संशोधन करती है :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रवर्तन.**—(i) इन विनियमों को डीसीआई के आपरेटिंग रूम असिस्टेंट पाठ्यक्रम के पहले संशोधन विनियम, 2010 कहा जाएगा ।  
(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. मूल विनियमों में चाहे कुछ भी कहा गया हो, दंत्य आपरेटिंग रूम असिस्टेंट पाठ्यक्रम एक शैक्षणिक वर्ष में अधिक से अधिक 20 सीटों सहित किसी भी मान्यताप्राप्त दंत्य कालेज में अथवा ऐसे दंत्य कालेज में जिसे बीडीएस पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के बाद के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मिली हुई है, शुरू किया जा सकता है ।
3. 'दंत्य आपरेटिंग रूम असिस्टेंट के न्यूनतम शैक्षिक मानक बनाए रखने के लिए' शीर्षक के अधीन पृष्ठ संख्या 1, पैरा 2 में 'विश्वविद्यालय' शब्द के स्थान पर 'संबंधित संस्थान' शब्द रख दिए जाएं ।
4. दंत्य आपरेटिंग रूम असिस्टेंट (डिप्लोमा प्रदान करना) विनियम-शीर्षक के अधीन पृष्ठ 4, पैरा 1 में 'विश्वविद्यालय' शब्द के स्थान पर 'संबंधित संस्थान' शब्द रख दिए जाएं ।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. पी. एन. अवस्थी, सचिव

[विज्ञापन III/4/98/10/असा.]

पाद टिप्पणी :—डीसीआई के दंत्य आपरेटिंग रूम असिस्टेंट पाठ्यक्रम विनियम, 2007 नामक मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 को प्रकाशित हुए थे ।

**DENTAL COUNCIL OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th July, 2010

**No. DE-166-2010.**—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following amendment to the Principal Regulations called “DCI’s Dental Operating Room Assistant Course Regulations, 2007”.

1. **Short title and commencement.**—(i) These Regulations may be called DCI’s Dental Operating Room Assistant Course (1st Amendment) Regulations, 2010.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Notwithstanding anything contained in the Principal Regulations, the Dental Operating Room Assistant Course with a maximum of 20 seats in an academic year can be started in a recognized dental college or in a dental college which has got the permission from the Central Government for 3rd year BDS course onwards.
3. The word ‘university’ be replaced by the words ‘concerned institution’ in the 2nd para page No. 1 under the heading ‘for the maintenance of minimum educational standard for Dental Operating Room Assistant’.
4. The word ‘university’ be replaced by the words ‘concerned dental institution’ at page No. 4 para 1st under the heading Dental Operating Room Assistant (grant of diploma) Regulations.

Maj. Gen. (Retd.) Dr. P. N. AWASTHI, Secy.

[ADVT. III/4/98/10/Exty.]

**Foot Note :—**The Principal Regulations, namely, DCI’s Dental Operating Room Assistant Course Regulations, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 10th October, 2007.